DATE: 25/08/2020
CLASS: B.A(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 08 (PARLIAMENT: LOKSABHA & RAJYASABHA)
LECTURE NO. - 45 (FORTY FIVE)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

भारतीय संसद की प्रभुसत्ता की सीमा

भारतीय संसद सम्प्रभु संस्था नहीं है, इसके कार्यों पर अनेक सीमाएँ, जो इस प्रकार हैं —

(i) लिखित और कठोर संविधान अर्थात् संविधान में संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया —

संसद की प्रभुसत्ता संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा सीमित है। संविधान के अनुच्छेद 245(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि "व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी।" संवैधानिक कानूनों का निर्माण हो या संविधान में संशोधन करना हो, एक विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार कठोर संविधान के कारण संसद की कानून निर्माण की शक्ति सीमित हो गई है।

(ii) संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत तथा संविधान के मूल ढाँचे की अवधारणा —

भारतीय संविधान संसद को प्रभुसत्ता प्रदान नहीं करता, बल्कि यह संविधान "संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत" पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुरूप उच्चतम न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 'संविधान के मूल ढाँचे

classmate
Date
Page

की धारणा' का प्रतिपादन किया। इस धारणा का आशय है कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, परन्तु संविधान के मूल ढाँचे को परिवर्तित या नष्ट नहीं कर सकती है। इस प्रकार, इस व्यवस्था के द्वारा संसद शक्ति सीमित की गई है।

(iii) संघात्मक व्यवस्था —

इस व्यवस्था की वजह से राज्यसूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो गई है। प्रो० टी० के० टोपे के अनुसार, "भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अन्तर्गत विधायिका है। ब्रिटिश संसद के समान इसकी शक्तियाँ असीमित नहीं है।"

(iv) न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था —

संसद की प्रभुसत्ता पर सबसे बड़ी सीमा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून की जाँच न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है। यदि उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानून को संविधान के विरुद्ध या इसके मूल ढाँचे के खिलाफ समझता है तो इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

(v) राजनीतिक परिसीमाएँ —

राजनीतिक दृष्टि से भी संसद लोकमत के विरुद्ध विधियों का निर्माण नहीं कर सकती है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौताओं, संधियों एवं कानूनों का भी सम्मान करना पड़ता है। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का विघटन करवा सकता है।

Scanned with CamScanner

CLASSMATE
Date
Page

भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है लेकिन संसद की शक्तियों की सीमाएँ हैं, इन शक्तियों की मर्यादाएँ हैं और इस कारण भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद के समान सम्प्रभु नहीं कहा जा सकता है।

सम्भावित प्रश्न :

(i) भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। क्या यह सम्प्रभु है?

(ii) भारतीय संसद की प्रभुसत्ता की सीमाओं का उल्लेख कीजिए।

Scanned with CamScanner